



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>अपील संख्या 83/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गफार खान 4/5 रमेश कुमार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>14/5/26</p>	<p>अधिवक्ता अपीलान्त उप.। अधिवक्ता अपीलान्त पूर्वदियों की पाठना की पत्रावली आदिनांत 14/5/26 को पेश हो। </p>	
<p>14/5/26</p>	<p>अधिवक्ता अपीलान्त अनु.। प्रकरण में अपीलान्त व अपीलान्त के अधिवक्ता को अध्यात्म की ओर से वाट-2 अवापे लगायी गयी लेकिन इसी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण समस्त रसो, की लमिणी एवं रसो. ले. 5, 13 व 18 की का. मु. कार्यवाही में निवसरी थी है। तथा आदेशित आदिनांत 14/5/26 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्त को रसो. के समस्त अथवाट में प्रकाशित करके का आदेश दिया। किंतु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा जानबूझ आदिनांत लह न्यायालय अधिसूचों की लमिणी नही की गयी। रसो. परिस्थितियों में उक्त हस्तगत अपीलान्त अदम हाजरी अदम पैरवी। अदम लमिणी के खारिज की जाती है। पत्रावली कुशल कुमार होकर वाह आवश्यक कारवाही दायिबा उपर हो। </p> <p>राजस्व अपील अधिकारी पाली</p>	